रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2012/कार्तिक 12, 1934
No. 580] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2012/KARTIKA 12, 1934

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 है

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है ;

(ख) "जिला बाल संरक्षक एकक" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनिम, 2006 की धारा 62क के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बाल संरक्षक एकक अभिप्रेत है ;

(ग) "विशेषज्ञ" से मानसिक स्वास्थ्य, औषधि, बाल विकास या अन्य संबंधित शाखा में प्रशिक्षित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी ऐसे बालक के साथ, जिसकी उपघात, निःशक्तता या किसी अन्य भेद्यता द्वारा संसूचित करने की योग्यता प्रभावित हो गई है, संपर्क को सुकर बनाने की अपेक्षा की जाए ;

(घ) "विशेष शिक्षक" से विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ किसी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकताओं का, जिसके अंतर्गत विद्वता और संसूचना, भावात्मक और व्यवहारिक विकारों, शारीरिक निःशक्तता और विकासात्मक विकारों की चुनौतियां भी हैं, पता लगाने की दृष्टि से संपर्क करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति" से किसी बालक के माता-पिता या कुटुंब का सदस्य या उसकी सांझी गृहस्थी का कोई सदस्य या कोई

ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है, जो बालक की अद्वितीय संपर्क रीति से सुपरिचित होता है और जिसकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संपर्क के लिए अपेक्षित या सहायक हो सकेगी ;

(च) "सहायक व्यक्ति" से बाल कल्याण समिति द्वारा नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसार बालक को अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से सहायता देने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत विचारण-पूर्व यां विचारण प्रक्रिया में बालक को सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) उन अन्य शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक—(1) प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण एकक, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष किशोर पुलिस यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एस.जे.पी.यू.' कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव वह होगा, जो इन नियमों में उपदर्शित किया जाए ।

(3) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनियम (1) के अधीन जिला बाल कल्याण एकक द्वारा अनुरक्षित सूची से भिन्न, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उप नियम (4) और उप नियम (5) के अधीन विहित अपेक्षाओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत भाषाओं में प्रदर्शित धारा प्रवाहिता के सबूत के आधार पर, जिला बाल कल्याण एकक, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में शिथिल किया जा सकेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या तो ऐसी भाषा उसकी मातृभाषा होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या वृत्ति या उस क्षेत्र में, जहां यह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अर्जित ज्ञान के परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुपरिचित होना चाहिए ।

(5) उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय सुधार परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत शाखा में सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए ।

(6) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिनका नाम उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में या अन्यथा प्रविष्ट किया जाता है, भुगतान, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण एकक के नियंत्रणाधीन अन्य निधियों से, उनके द्वारा अवधारित दरों पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर किया जाएगा ।

(7) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तारीख के पश्चात्, दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिंग के बारे में बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी अधिमानता पर विचार किया जा सकेगा और जहां आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा ।

(8) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति निष्पक्ष और समदर्शी होगा और किसी वास्तविक या विदित हित विरोध को प्रकट करेगा । वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 282 के अनुसार किन्हीं परिवर्धन या लोप के बिना पूर्ण और यथार्थ निर्वचन या अनुवाद करेगा ।

(9) विशेष न्यायालय, धारा 38 के अधीन कार्यवाहियों में यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बालक पर्याप्त रुप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, जी नियुक्ति में कोई हित विरोध तो अंतर्वलित नहीं है ।

(10) अधिनियम या उसके नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन यथा वर्णित गोपनीयता के नियम से आबद्ध होगा ।

4. **देखरेख और संरक्षण** - (1) जहां किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस को किसी व्यक्ति से जिसके अंतर्गत बालक भी है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त होती है वहां ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करेगी :-

(i) उसका नाम और पदनाम ;

(ii) पता और दूरभाष नंबर ;

(iii) उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण करता है ।

(2) जहां, यथास्थिति, किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या, स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में किसी ऐसे अपराध की बाबत जो किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या जिसका किया जाना संभाव्य है, की सूचना प्राप्त होती है वहां संबंधित प्राधिकारी, जहां लागू हों,-

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम इत्तला रिपोर्ट अभिलिखित और रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जाएगा और संहिता की धारा 154 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति मुफ्त देगा ;

(ख) जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन या इन नियमों के अधीन यथावर्णित आपात चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है वहां बालक की नियम 5 के अनुसरण में ऐसी देखरेख करवाने की व्यवस्था करेगा ;

(ग) बालक को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अस्पताल ले जाएगा ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयिक जांच के लिए एकत्रित नमूने शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेज दिए गए है ;

(ङ) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को सहायक सेवाओं, जिसमें मंत्रणा भी है, की प्राप्यता के बारे में सूचना देगा और उनकी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने में सहायता करेगा जो ऐसी सेवाएं और अनुतोष देने के लिए उत्तरदायी है ;

(च) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में बालक को विधिक सलाह का अधिकार और परामर्शी और किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देगा ।

(3) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और यह युक्तियुक्त आशंका है कि बालक की उसी या साझी गृहस्थी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किया जाना संभाव्य है या बालक किसी बाल देखरेख संस्था में रह रहा है और माता पिता की सहायता के बिना है या बालक किसी भी गृह या माता पिता की सहायता के बिना पाया गया है तो संबंधित एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी द्वारा ब्यौरेवार निर्धारण के अनुरोध सहित

जिसमें लिखित में दिए जाने वाले ऐसे कारण भी होंगे कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक को बाल कल्याण समिति (जिसमें इसमें इसके पश्चात् "सीडब्ल्यूसी" कहा गया है) के समक्ष पेश करेगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित सीडब्ल्यूसी को स्वप्रेरणा से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसरण में तीन दिन के भीतर यह अवधारण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए कि क्या बालक को उसके कुटुंब या साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग ले जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है ।

(5) उपनियम (4) के अधीन अवधारण करते समय सीडब्ल्यूसी बालक द्वारा अभिव्यक्त किसी भी अधिमान या राय के साथ ही साथ बालक के सर्वोत्तम हित पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा :-

(i) बालक की तुरंत देखरेख और संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय आवश्यकताएं और मंत्रणा भी है, माता पिता या माता या पिता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की समर्थता ;

(ii) बालक की उसके माता पिता, कुटुंब और विस्तृत कुटुंब में रहने की आवश्यकता और उनके साथ संबंध बनाए रखना ;

(iii) बालक की आयु और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि ;

(iv) बालक की निःशक्तता, यदि कोई हों ;

(v) ऐसी कोई भी दीर्घकालिक रूग्णता जिससे बालक ग्रस्त हो सकता है ;

(vi) बालक या बालक के कुटुंब के किसी सदस्य को अंतर्वलित करने वाली कौटुंबिक हिंसा का कोई इतिहास ; और

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो :

परंतु ऐसा अवधारण किए जाने के पूर्व एक जांच ऐसे रूप में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा नहीं हो ।

(6) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है और जिनके साथ बालक रह रहा है जो कि ऐसे अवधारण से प्रभावित हुआ है, को यह सूचना दी जाएगी कि ऐसे अवधारण पर विचार किया गया है ।

(7) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या उपनियम (5) के अधीन अपने निर्धारण के आधार पर और बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की सहमति से अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक की सहायता करने के लिए एक सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेगी । ऐसा सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन या बाल गृह या बालक की अभिरक्षा रखने वाले आश्रयगृह का कोई पदधारी या डीसीपीयू द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति हो सकेगा :

परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता मांगने से नहीं रोकेगी ।

(8) सहायक व्यक्ति हर समय बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है, की गोपनीयता बनाए रखेगा । यह बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, मामले की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिसके अंतर्गत उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाएं और संभावी परिणाम भी है, वह बालक को न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक से संबंधित उसकी अभियुक्त से सुरक्षा और वह रीति जिस पर वह अपना परिसाक्ष्य देना चाहेगा, के बारे में सुसंगत प्राधिकारियों को बताएगा ।

(9) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति दिया गया है, वहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसे समनुदेशन करने के 24 घंटे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालयों को सूचना देगा ।

8

(10) सीडब्ल्यूसी (बालक कल्याण समिति), बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या उस व्यक्ति के, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, अनुरोध पर सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर सकेगा और ऐसा अनुरोध करने वाले बालक से ऐसे अनुरोध के लिए कोई भी कारण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी ।

(11) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस का बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की, जिस पर बालक का विश्वास और भरोसा है और जहां सहायक व्यक्ति समनुदेशित किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति को मामले की प्रगति के बारे में सूचना देने का उत्तरदायित्व होगा जिसके अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाइल किए गए आवेदन और अन्य न्यायालयिक कार्यवाहियां भी है ।

(12) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), स्थानीय पुलिस, या सहायक व्यक्ति, द्वारा बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित है किंतु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है :-

(i) लोक और निजी आपात और संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता ;

(ii) किसी दांडिक अभियोजन में अतंर्वलित प्रक्रियात्मक कदम ;

(iii) पीड़ित के प्रतिकर फायदों की प्राप्यता ;

(iv) अपराध के अन्वेषण की प्रास्थिति, जहां तक उसकी सूचना पीड़ित को देना उपयुक्त है और जहां तक इससे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं होगा ;

(v) किसी संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी ;

(vi) किसी संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध आरोप फाइल करना ;

(vii) न्यायालयिक कार्यवाहियों की समयानुसूची जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है ;

(viii) किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, उसे छोड़े जाने या निरोध की प्रास्थिति ;

(ix) विचारण के पश्चात् किसी अधिमत का दिया जाना ; और

(x) किसी अपराधी पर अधिरोपित दंडादेश ।

5. **आपात चिकित्सा देखरेख** - (1) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), या स्थानीय पुलिस के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है और उसका समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, तुरंत चिकित्सा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशक्य शीघ्र किंतु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अपश्चात्, ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम अस्पताल या चिकित्सा देखरेख प्रसुविधा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करेगा :

परंतु जहां कोई अपराध अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किया गया है वहां पीड़ित आपात चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया जाएगा ।

(2) आपात चिकित्सा देखरेख, ऐसी रीति में, जिससे बालक की निजता की सुरक्षा हो सके, और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी ।

(3) किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अध्यपेक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की मांग नहीं करेगा ।

(4) आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :-

(i) कट (विदारण), नीलों, और अन्य क्षतियों जिसके अंतर्गत जननेन्द्रिय क्षति, यदि कोई हो, भी है, का उपचार ;

(ii) लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडीज) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत परिलक्षित एसटीडीज का रोग निरोध भी है, का उपचार ;

(iii) संक्रामक रोग विशेषज्ञ से आवश्यक परामर्श के पश्चात् ह्यूमन इम्यूनोडेफियंसी वायरस (एचआईवी) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत एचआईवी का रोग निरोध भी है, का उपचार ;

(iv) यौवनागम बालक और उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति से, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य गर्भास्तित्व और आपात गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए ; और

(v) जहां आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भालोकन या परामर्श या अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए ।

(5) आपात चिकित्सा देखरेख करने के प्रक्रम पर एकत्रित किए गए किसी भी न्याय संबंधी साक्ष्य को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किया जाना चाहिए ।

6. **अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी** - (1) यथास्थिति, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एससीपीसीआर" कहा गया है), बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के पदाभिधान को मॉनीटर करना ;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मॉनीटर करना ;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर सहायता से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालक विकास का ज्ञान रखने वाले

व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गनिर्देश बनाने को मॉनीटर करना और इन मार्गनिर्देशों को लागू करने को मॉनीटर करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पुलिस कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी है, के लिए निश्चायिका के डिजाइन और कार्यान्वयन को मॉनीटर करना ;

(ङ) मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियों और प्रिंट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना और उनकी सहायता करना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसाधारण, बालकों के साथ ही साथ उनके माता पिता और संरक्षकों को जागरुक किया जा सके ।

(2) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीडब्ल्यूसी की अधिकारिता के भीतर आने वाले बालक लैंगिक दुरूपयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट मांग सकेंगे ।

(3) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर स्वप्रेरणा से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरूपयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत सूचना और आंकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूचना भी है :-

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे ;

(ii) क्या अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है जिसके अंतर्गत समयसीमा से संबंधित प्रक्रिया भी है ;

(iii) अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था के ब्यौरे जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था भी है ; और

(iv) संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत ब्यौरे ।

12

(4) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी । अधिनियम की मॉनीटरी पर रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा ।

7. **प्रतिकर** - (1) विशेष न्यायालय, समुचित मामलों में स्वप्रेरणा से या बालक द्वारा या उसकी और से फाइल किए गए आवेदन पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी भी स्तर पर बालक के अनुतोष या पुनर्वास की तुरंत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतरिम प्रतिकर का आदेश पारित कर सकेगा । बालक को संदत्त ऐसे अंतरिम प्रतिकर को अंतिम प्रतिकर, यदि कोई हों, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

(2) विशेष न्यायालय, स्वप्रेरणा से या पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन पर जहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है या जहां मामले का परिणाम दोषमुक्ति या उन्मोचन है या अभियुक्त का पता नहीं लगा है या पहचान नहीं की गई है और विशेष न्यायालय की राय में बालक ने उक्त अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति उठाई है तो प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(3) जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का निदेश देता है तो पीड़ित को हुई हानि या क्षति से संबंधित सभी सुसंगत कारणों पर विचार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(i) दुरूपयोग का प्रकार, अपराध की संगीनता और बालक द्वारा उठाई गई मानसिक और शारीरिक अपहानि और क्षति की गंभीरता ;

(ii) शारीरिक और/या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उस पर उपगत या उपगत किए जाने के लिए संभाव्य व्यय ;

(iii) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय से अनुपस्थिति भी है ;

(iv) अपराध के परिणामस्वरूप नियोजन की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से नियोजन के स्थान से अनुपस्थिति भी है ;

(v) अपराधी के साथ बालक का संबंध, यदि कोई हो ;

(vi) क्या ऐसा दुरूपयोग एक अकेली घटना थी या ऐसा दुरूपयोग अलग-अलग समय पर बार-बार पर होता रहा ;

(vii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई है ;

(viii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप किसी लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडी) से संसर्ग-प्राप्त हो गया है ;

(ix) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप ह्यूमन इम्यूनोडेफियंसी वायरस (एचआईवी) से संसर्ग-प्राप्त हो गया है ;

(x) अपराध के परिणामस्वरूप बालक द्वारा वहन की गई कोई भी निःशक्तता ;

(xi) उस बालक की वित्तीय स्थिति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है जिससे उसके पुनर्वास की आवश्यकता को अवधारित किया जा सके ;

(xii) कोई अन्य कारण जो विशेष न्यायालय सुसंगत समझे ।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के लिए प्रतिकर निधि या उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पीड़ित के प्रतिकर और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य स्कीम या निधि से किया जाना है या जहां ऐसी निधि या स्कीम नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।

(5) राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर का संदाय ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर करेगी ।

(6) इन नियमों की कोई बात बालक या उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों और स्कीम के अधीन अनुतोष मांगने के लिए आवेदन देने से नहीं रोकेगी ।

[फा. सं. 22-14//2012-सीडब्ल्यू-I]

डॉ. विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2012

G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) to (d) of sub-section (2), of section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely -

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(b) "District Child Protection Unit" (DCPU) means the District Child Protection Unit established by the State Government under section 62A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006;

(c) "Expert" means a person trained in mental health, medicine, child development or other related discipline, who may be required to facilitate communication with a child whose ability to communicate has been affected by trauma, disability or any other vulnerability;

(d) "Special educator" means a person trained in communication with children with special needs in a way that addresses the child's individual differences and needs, which include challenges with learning and communication, emotional and behavioural disorders, physical disabilities, and developmental disorders;

(e) "Person familiar with the manner of communication of the child" means a parent or family member of a child or a member of his shared household or any person in whom the child reposes trust and confidence, who is familiar with that child's unique manner of communication,

and whose presence may be required for or be conducive to more effective communication with the child;

(f) "Support person" means a person assigned by a Child Welfare Committee, in accordance with sub-rule (8) of rule 4, to render assistance to the child through the process of investigation and trial, or any other person assisting the child in the pre-trial or trial process in respect of an offence under the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. Interpreters, translators and Special educators – (1) In each district, the DCPU shall maintain a register with names, addresses and other contact details of interpreters, translators and special educators for the purposes of the Act, and this register shall be made available to the Special Juvenile Police Unit (hereafter referred to as "SJPU"), local police, magistrate or Special Court, as and when required.

(2) The qualifications and experience of the interpreters, translators, Special educators, and experts, engaged for the purposes of sub-section (4) of section 19, sub-sections (3) and (4) of section 26 and section 38 of the Act, shall be as indicated in these rules.

(3) Where an interpreter, translator, or Special educator is engaged, otherwise than from the list maintained by the DCPU under sub-rule (1), the requirements prescribed under sub-rules (4) and (5) of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant languages by the interpreter, translator, or special educator, subject to the satisfaction of the DCPU, Special Court or other authority concerned.

(4) Interpreters and translators engaged under sub-rule (1) should have functional familiarity with language spoken by the child as well as the official language of the state, either by virtue of such language being his mother tongue or medium of instruction at school at least up to primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through his vocation, profession, or residence in the area where that language is spoken.

(5) Sign language interpreters, Special educators and experts entered in the register under sub-rule (1) should have relevant qualifications in sign language or special education, or in the case of an expert, in the relevant discipline, from a recognized University or an institution recognized by the Rehabilitation Council of India.

(6) Payment for the services of an interpreter, translator, Special educator or expert whose name is enrolled in the register maintained under sub-rule (1) or otherwise, shall be made by the State Government from the Fund maintained under section 61 of the Juvenile Justice Act, 2000, or from other funds placed at the disposal of the DCPU, at the rates determined by them, and on receipt of the requisition in such format as the State Government may prescribe in this behalf.

(7) Any preference expressed by the child at any stage after information is received under sub-section (1) of section 19 of the Act, as to the gender of the interpreter, translator, Special educator, or expert, may be taken into consideration, and where necessary, more than one such person may be engaged in order to facilitate communication with the child.

(8) The interpreter, translator, Special educator, expert, or person familiar with the manner of communication of the child engaged to provide services for the purposes of the Act shall be unbiased and impartial and shall disclose any real or perceived conflict of interest. He shall render a complete and accurate interpretation or translation without any additions or omissions, in accordance with section 282 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(9) In proceedings under section 38, the Special Court shall ascertain whether the child speaks the language of the court adequately, and that the engagement of any interpreter, translator, Special educator, expert or other person familiar with the manner of communication of the child, who has been engaged to facilitate communication with the child, does not involve any conflict of interest.

(10) Any interpreter, translator, Special educator or expert appointed under the provisions of the Act or its rules shall be bound by the rules of confidentiality, as described under section 127 read with section 126 of the Indian Evidence Act, 1872.

4. Care and Protection – (1) Where an SJPU or the local police receives any information under sub-section (1) of section 19 of the Act from any person including the child, the SJPU or local police receiving report of such information shall forthwith disclose to the person making the report, the following details:-

(i) his name and designation;
(ii) the address and telephone number;
(iii) the name, designation and contact details of the officer who supervises the officer receiving the information.

(2) Where an SJPU or the local police, as the case may be, receives information in accordance with the provisions contained under sub-section (1) of section 19 of the Act in respect of an offence that has been committed or attempted or is likely to be committed, the authority concerned shall, where applicable, -

(a) proceed to record and register a First Information Report as per the provisions of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and furnish a copy thereof free of cost to the person making such report, as per sub-section (2) of section 154 of the Code;

(b) where the child needs emergency medical care as described under sub-section (5) of section 19 of the Act or under these rules, arrange for the child to access such care, in accordance with rule 5;

(c) take the child to the hospital for the medical examination in accordance with section 27 of the Act;

(d) ensure that the samples collected for the purposes of the forensic tests are sent to the forensic laboratory at the earliest;

(e) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence of the availability of support services including counselling, and assist them in contacting the persons who are responsible for providing these services and relief;

(f) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence as to the right of the child to legal advice and counsel and the right to be represented by a lawyer, in accordance with section 40 of the Act.

(3) Where the SJPU or the local police receives information under sub-section (1) of section 19 of the Act, and has a reasonable apprehension that the offence has been committed or attempted or is likely to be committed by a person living in the same or shared household with the child, or the child is living in a child care institution and is without parental support, or the child is found to be without any home and parental support, the concerned SJPU, or the local police shall produce the child before the concerned Child Welfare Committee (hereafter referred to as "CWC") within 24 hours of receipt of such report, together with reasons in writing as to whether the child is in need of care and protection under sub-section (5) of section 19 of the Act, and with a request for a detailed assessment by the CWC.

(4) Upon receipt of a report under sub-rule (3), the concerned CWC must proceed, in accordance with its powers under sub-section (1) of section 31 of the Juvenile Justice Act, 2000, to make a determination within three days, either on its own or with the assistance of a social worker, as to whether the child needs to be taken out of the custody of his family or shared household and placed in a children's home or a shelter home.

(5) In making determination under sub-rule (4), the CWC shall take into account any preference or opinion expressed by the child on the matter, together with the best interests of the child, having regard to the following considerations:

(i) the capacity of the parents, or of either parent, or of any other person in whom the child has trust and confidence, to provide for the immediate care and protection needs of the child, including medical needs and counselling;

(ii) the need for the child to remain in the care of his parent, family and extended family and to maintain a connection with them;

(iii) the child's age and level of maturity, gender, and social and economic background;

(iv) disability of the child , if any;

(v) any chronic illness from which a child may suffer;

(vi) any history of family violence involving the child or a family member of the child; and,

(vii) any other relevant factors that may have a bearing on the best interests of the child:

Provided that prior to making such determination, an inquiry shall be conducted in such a way that the child is not unnecessarily exposed to injury or inconvenience.

(6) The child and his parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence and with whom the child has been living, who is affected by such determination, shall be informed that such determination is being considered.

(7) The CWC, on receiving a report under sub-section (6) of section 19 of the Act or on the basis of its assessment under sub-rule (5), and with the consent of the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, may provide a support person to render assistance to the child through the process of investigation and trial. Such support person may be a person or organisation working in the field of child rights or child protection, or an official of a children's home or shelter home having custody of the child, or a person employed by the DCPU:

4304 GI/12-5

Provided that nothing in these rules shall prevent the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence from seeking the assistance of any person or organisation for proceedings under the Act.

(8) The support person shall at all times maintain the confidentiality of all information pertaining to the child to which he has access. He shall keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, informed as to the proceedings of the case, including available assistance, judicial procedures, and potential outcomes. He shall also inform the child of the role he may play in the judicial process and ensure that any concerns that the child may have, regarding his safety in relation to the accused and the manner in which he would like to provide his testimony, are conveyed to the relevant authorities.

(9) Where a support person has been provided to the child, the SJPU or the local police shall, within 24 hours of making such assignment, inform the Special Court in writing.

(10) The services of the support person may be terminated by the CWC upon request by the child and his parent or guardian or person in whom the child has trust and confidence, and the child requesting the termination shall not be required to assign any reason for such request. The Special Court shall be given in writing such information.

(11) It shall be the responsibility of the SJPU, or the local police to keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, and where a support person has been assigned, such person, informed about the developments, including the arrest of the accused, applications filed and other court proceedings.

(12) The information to be provided by the SJPU, local police, or support person, to the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, includes but is not limited to the following:-

(i) the availability of public and private emergency and crisis services;

(ii) the procedural steps involved in a criminal prosecution;

(iii) the availability of victims' compensation benefits;

(iv) the status of the investigation of the crime, to the extent it is appropriate to inform the victim and to the extent that it will not interfere with the investigation;

(v) the arrest of a suspected offender;

(vi) the filing of charges against a suspected offender;

(vii) the schedule of court proceedings that the child is either required to attend or is entitled to attend;

(viii) the bail, release or detention status of an offender or suspected offender;

(ix) the rendering of a verdict after trial; and

(x) the sentence imposed on an offender.

5. Emergency medical care – (1) Where an officer of the SJPU, or the local police receives information under section 19 of the Act that an offence under the Act has been committed, and is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of urgent medical care and protection, he shall, as soon as possible, but not later than 24 hours of receiving such information, arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility centre for emergency medical care:

Provided that where an offence has been committed under sections 3, 5, 7 or 9 of the Act, the victim shall be referred to emergency medical care.

(2) Emergency medical care shall be rendered in such a manner as to protect the privacy of the child, and in the presence of the parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence.

(3) No medical practitioner, hospital or other medical facility centre rendering emergency medical care to a child shall demand any legal or magisterial requisition or other documentation as a pre-requisite to rendering such care.

(4) The registered medical practitioner rendering emergency medical care shall attend to the needs of the child, including --

(i) treatment for cuts, bruises, and other injuries including genital injuries, if any;
(ii) treatment for exposure to sexually transmitted diseases (STDs) including prophylaxis for identified STDs;
(iii) treatment for exposure to Human Immunodeficiency Virus (HIV), including prophylaxis for HIV after necessary consultation with infectious disease experts;

(iv) possible pregnancy and emergency contraceptives should be discussed with the pubertal child and her parent or any other person in whom the child has trust and confidence; and,

(v) wherever necessary, a referral or consultation for mental or psychological health or other counselling should be made.

(5) Any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with section 27 of the Act.

6. Monitoring of implementation of the Act – (1) The National Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "NCPCR") or the State Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "SCPCR"), as the case may be, shall in addition to the functions assigned to them under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, perform the following functions for implementation of the provisions of the Act:-

(a) to monitor the designation of Special Courts by State Governments;

(b) to monitor the appointment of Public Prosecutors by State Governments;

(c) to monitor the formulation of the guidelines described in section 39 of the Act by the State Governments, for the use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child, and to monitor the application of these guidelines;

(d) to monitor the designing and implementation of modules for training police personnel and other concerned persons, including officers of the Central and State Governments, for the effective discharge of their functions under the Act;

(e) to monitor and support the Central Government and State Governments for the dissemination of information relating to the provisions of the Act through media including the television, radio and print media at regular intervals, so as to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of the Act.

(2) The NCPCR or the SCPCR, as the case may be, may call for a report on any specific case of child sexual abuse falling within the jurisdiction of a CWC.